संख्या-38/2016/517/41-2016-23 यो0/12

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2016

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2352/6-1-1(498)/यो0/2016, दिनांक 16-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास की योजना हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 635.57 लाख (रूपये छः करोड पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 514.27 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 102.85 लाख (रूपये एक करोड दो लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2215/41-2012-23यो0/12, दिनांक 31.03.2013 द्वारा एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 3397/41-2013-23 यो0/12, दिनांक 29.11.2013 द्वारा तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से अवमुक्त हुई धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 211.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 1682/41-2013-23 यो0/12, दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से पी0आई0डी0डी0सी0 योजना डी-लिंक कर दिये जाने के पश्चात अब इस मद में भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नही होनी है। अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन के स्तर पर दिनांक 24.06.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि उक्त परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 77.74 लाख मात्र धनराशि की आवश्यकता है। अतः उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद प्रतापगढ में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास की योजना हेतु संशोधित

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि रू0 592.01 लाख (रूपये पॉच करोड बान्नबे लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 77.74 लाख की (रूपये सतहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (42)/2011, दिनांक 29-03-2012 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
8. योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

http://shasanadesh.up.nic.in

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-38/2016/517(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रतापगढ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in